150

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0–18 / प्र0सु0मि0–04–01 / 2018,सा0प्र0..... / पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– मई, 2018

विषयः– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत् तत्काल सेवा के लिए संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक के 534 पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार और ब्रिटेन सरकार के डिपार्टमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट के संयुक्त प्रयास से राज्य में व्यापक प्रशासनिक सुधार के सघन कियान्वयन हेतु दिनांक–18.12.2008 को बिहार प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अवधि जून, 2014 तक के लिए नियत थी। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को अच्छी एवं त्वरित सेवाएँ उपलब्ध कराना था।

2. दिनांक–18.06.2013 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या–14 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–7876 दिनांक–11.06.2014 द्वारा मिशन सोसाइटी को जून, 2014 के पश्चात भी राज्य सरकार की निधि से बनाये रखने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में मिशन कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण राज्य में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम एवं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कियान्वयन में सहयोग करने एवं अनुश्रवण / राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के चल–अचल सम्पत्ति की विवरणी बेवसाईट पर अपलोड करने और आई0टी0 से संबंधित अन्य कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जिसे आगामी वर्षो में भी जारी रखा जाना है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–19621 दिनांक–27.12.2013 द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत तीन सेवाओं यथा (1) जाति प्रमाण पत्र (2) आवासीय प्रमाण पत्र एवं (3) आय प्रमाण पत्र को तत्काल सेवा के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी पूर्व से नाम निर्दिष्ट लोक सेवक घोषित हैं। इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय के लिए संविदा पर एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन करने एवं आवश्यकतानुसार अलग काउन्टर की व्यवस्था करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया था।

4. उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारियों द्वारा तत्काल–सेवा के लिए कार्यपालक सहायकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है। तत्काल–सेवा के लिए संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए नियोजित हैं।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत् बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत तत्काल–सेवा के लिए प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय हेतु कार्यपालक सहायकों के 534 (पाँच सौ चौंतीस) संविदा अधारित पदों का सृजन किया गया है, जिस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0–7,26,98,760 (सात करोड़ छब्बीस लाख अन्ठान्वे हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र है।

6. उपर्युक्त पदों पर अनुमानित व्यय योजना के बजट मुख्य शीर्ष–2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–092 –अन्य कार्यकम उप शीर्ष–0122– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी विपत्र कोड–33–2052000920122 के अन्तर्गत 31.04 सहायक अनुदान– वेतन से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–15.05.2018 में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृत किया गया है।

ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
अपर सचिव

ज्ञापांक:– 18/प्र0सु0मि0–04–01/2018,सा0प्र0 6741 /पटना,15 दिनांक– 24-5-18

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बजट शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव।